

फर्द अहकाम

गिरिराज

बनाम

गिरि-चन्द

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24.1.25	पत्रावली पेश हुई। वगुलार परिचय उपस्थित। पूर्विका की मासता को पत्रावली दिनांक 7/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	7/3/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य का बयानात्मक हो गया। दिनांक 21/5/25 को पेश हो।
	2.5.25	पत्रावली पेश हुई। वगुलार परिचय उपस्थित। पूर्विका की मासता को पत्रावली दिनांक 4/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	4/11/25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित है। पूर्व आदेशावली दिनांक 12/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	12/11/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक उपस्थित रखा है। पत्रावली दिनांक 10/10/25 को पेश हो।
	10.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राज. उपस्थित है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/11/25 को पेश हो।
	12.11.25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उसके अधिवक्ता को वादी को आज न्यायालय के दृष्टिकोण समझ पर तीन-तीन बार वाक्पत्र लगावायी गयी। जयपुर न्यायालय लगावने के उपरान्त भी वादी को न्यायालय में हजर नहीं माने के कारण पत्रावली अन्तर्गत न्यायालय

फर्द अहकाम

बनाम

नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

/ 202.....

संक आझा कार्यवाही	आझा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>निगम - 3 एम. सी. के तहत नयम धारणी व नयम धारणी से खारिज की गयी। मन्वली फौल व सुमार होकर नंबर से काम होकर दायित्व स्फुटर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर उपखण्ड</p>	